

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक एफ 7-80/2014/आ.प्र./एक,

भोपाल, दिनांक 19/02/2016

प्रति,

1. समस्त संभागीय आयुक्त
मध्यप्रदेश
2. समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषय:-मोगिया, मोघ्या, मोंग्या, अनुसूचित जनजाति के संबंध में जाति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत ।


संदर्भ:-इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.03.2015

उपर्युक्त संदर्भित परिपत्र दिनांक 27.03.2015 द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 जो भारत का राजपत्र दिनांक 8 जनवरी 2003 में प्रकाशित है, में जारी मध्यप्रदेश राज्य के लिये जारी अनुसूचित जनजाति की सूची के सरल क्रमांक 16 पर 'गौंड' जाति के साथ 'मोगिया' (Mogia), 'मोघ्या' (Moghya), 'मोंग्या' (Monghya) संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूचित जनजाति अधिसूचित है । अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 के तहत मध्यप्रदेश राज्य के लिये जारी अनुसूचित जाति की सूची में सरल क्रमांक 39 पर 'मोघिया' जाति संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूचित जाति अधिसूचित है । इस प्रकार 'मोगिया' अनुसूचित जनजाति एवं 'मोघिया' अनुसूचित जाति दोनो पृथक-पृथक जातियां है जिन्हें सूचियों में यथावैधानिक स्थिति अनुसार लाभ पाने की पात्रता है ।

2/ शासन के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि 'मोगिया' (Mogia), 'मोघ्या' (Moghya), 'मोंग्या' (Monghya) जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जारी उपर्युक्त संदर्भित परिपत्र के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

3/ अतः सामान्य प्रशासन विभाग के उपर्युक्त परिपत्र दिनांक 27.03.2015 की प्रति संलग्न कर पुनः निर्देशित किया जाता है कि इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।



(के.के. कातिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पू.क्र. एफ 7-80 /2014/आ.प्र./एक,
प्रतिलिपः--

भोपाल, दिनांक 19/02/2016

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल;
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल;
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्रीजी के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल;
4. प्रमुख सचिव, समन्वय (मुख्य सचिव कार्यालय) मंत्रालय, भोपाल
5. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष, मध्यप्रदेश/माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल/सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर;
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल;
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल;
9. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर;
10. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल;
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल;
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता मध्यप्रदेश, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर;
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल;
14. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309 निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, अरेरा हिल्स, भोपाल;
15. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं 103, तेजसवी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी पूजा गुप्ता हैदराबाद।
अपर मुख्य सचिव, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

16. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल;
17. आयुक्त, आदिवासी विकास/अनुसूचित जाति विकास, आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल;
18. प्रभारी, वेबसाईट अपलोडिंग, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक एफ 7-80/2014/आ.प्र./एक.
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27/03/2015

1. समस्त संभागीय आयुक्त,
मध्यप्रदेश।
2. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय:-मोगिया, मोघ्या, मोंग्या, अनुसूचित जनजाति के संबंध में जाति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।


अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 जो भारत का राजपत्र दिनांक 8 जनवरी 2003 में प्रकाशित है, में जारी मध्यप्रदेश राज्य के लिये जारी अनुसूचित जनजाति की सूची के सरल क्रमांक 16 पर 'गौंड' जाति के साथ 'मोगिया' (Mogia), 'मोघ्या' (Moghya), 'मोंग्या' (Monghya) संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूचित जनजाति के रूप अधिसूचित हैं। अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 के तहत मध्यप्रदेश राज्य के लिये जारी अनुसूचित जाति की सूची में सरल क्रमांक 39 पर 'मोघिया' जाति संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूचित जाति अधिसूचित है। इस प्रकार 'मोगिया' अनुसूचित जनजाति एवं 'मोघिया' अनुसूचित जाति दोनों पृथक-पृथक जातियां हैं जिन्हें सूचियों में यथावैधानिक स्थिति अनुसार लाभ पाने की पात्रता है।

2/ 'मोगिया' जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत शामिल है। इस संबंध में संचालक आदिम जाति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी पत्र दिनांक 18-05-2007 व मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग के परिपत्र दिनांक 20-02-2005 द्वारा संबंधितों को निर्देश दिए गए हैं, जो पुनः संलग्न हैं।

--2--

3. माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा रिट अपील क्रमांक 915. 916. 917/13, (दुलेसिंह एवं अन्य वि. राज्य) में पारित आदेश दिनांक 29-11-2013 में 'मोगिया' को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्य करने का निर्णय पारित किया गया है। चूंकि मध्यप्रदेश राज्य के लिये जारी अनुसूचित जनजाति की सूची के सरल क्रमांक 16 पर 'गोंड' जाति के साथ 'मोगिया' संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूचित जनजाति अधिसूचित है एवं अनुसूचित जाति की सूची में सरल क्रमांक 39 पर 'मोगिया' जाति संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूचित जाति अधिसूचित है। अतः जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में जारी निर्देशों के तहत प्रकरणों का परीक्षण कर निराकृत करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(आर.वे. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 27/03/2015

पृ.क्र. एफ 7-80 /2014/आ.प्र./एक,
प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल;
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल;
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्रीजी के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल;
4. प्रमुख सचिव, समन्वय (मुख्य सचिव कार्यालय) मंत्रालय, भोपाल;
5. प्रमुख सचिव, मप्र शासन, आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष, मध्यप्रदेश/माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल/सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर;
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल;
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल;
9. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर;
10. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल;

11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव ,राज्य मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल;
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता मध्यप्रदेश ,जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर;
13. महालेखाकार ,मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल;
14. निदेशक ,राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ,क्षेत्रीय कार्यालय ,कमरा नं. 309 निर्माण सदन ,सीजीओ बिल्डिंग, अरेरा हिल्स ,भोपाल;
15. निदेशक ,अनुसूचित जाति आयोग ,क्षेत्रीय कार्यालय ,फ्लैट नं. 103. तेजसवी अपार्टमेंट, दिवतीय तल. द्वारकापुरी पूजा गुप्ता हैदराबाद ।
अपर मुख्य सचिव. पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
16. सचिव ,मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/मध्यप्रदेश पिछडा वर्ग आयोग ,भोपाल;
17. आयुक्त ,आदिवासी विकास/अनुसूचित जाति विकास ,आयुक्त ,पिछडा वर्ग कल्याण ,भोपाल;

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंगोषित ।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सान्मान्य प्रशासन विभाग

आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, म.प्र.शासन
विदिशा (म. प्र.) 35, श्यामला हिल्स, भोपाल 462002
email:-tribe.o@mp.nic.in
Website:-www.tribe.mp.gov.in
12 MAY 2007

क्रमांक/रां-अन्व/2 9/07/6963
कलेक्टर
जिला-विदिशा(म.प्र.)

भोपाल दिनांक 18/5/07

विषय:- मोगिया अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।
संदर्भ:- श्री कल्याण सिंह मोगिया, ग्राम-किशनपुर तहसील नटेरन जिला-विदिशा का आवेदन पत्र।

कृपया सदभेंट (छायाप्रति संलग्न) पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।
आवेदन के सम्बन्ध में ज्ञेय है कि अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रमांक 16 पर
मोगिया जनजाति, गोंड जनजाति की उपजाति के रूप में पूरे प्रदेश के लिये अनुसूचित
जनजाति अधिसूचित है। जिसे नियमानुसार अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले समस्त
संवैधानिक लाभों की पात्रता आती है। उल्लेखनीय यह है कि अनुसूचित जाति की सूची
में सरकारी क्रमांक 39 पर मोगिया जाति अनुसूचित जाति के अन्तर्गत अधिसूचित है, जिसे
अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभों की पात्रता है।
नियमानुसार इन जातियों को स्थानिक अनुसार लाभ प्राप्त होने की पात्रता
है। कृपया नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

[Signature]

संचालक,
आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान
भोपाल

कार्यालय कोडर, जिला विदिशा [मोगिया]

क्रमांक/द्व/रे. भो./2007 7234

विदिशा, दिनांक: 28/5/2007

प्रतिलिपि:-

- 11/ जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग विदिशा
- 12/ उपखण्ड अधिकारी, नटेरन की ओर भेजकर आवेदक श्री कल्याण सिंह मोगिया ग्राम किशनपुर द्वारा प्रेषित आवेदन दस्तावेज सहित आगामी कार्यवाही हेतु अधिसूचित है।
- 13/ उपखण्ड अधिकारी, विदिशा, बासौदा, नटेरन, कुरवाई, तिरौंज, लटेरी, भण्डा की ओर सूचनाार्थ।

[Signature]
डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर, विदिशा

मध्य प्रदेश शासन
 आदिवासी विकास विभाग
 भोपाल
 संसद भवन भोपाल-462004

क्रमांक एफ-7-02/2005/25-5

भोपाल, दिनांक 20 मई, 2005

प्रति,


समस्त जिल्लेदार,
 मध्य प्रदेश

श्री गिरीधर उन्नावत के संबंध में स्थित स्पष्ट करने वाला।

-0-

शासन के ध्यान में यह तथ्य लाये गये हैं कि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में 'गोश्या' जाति की अनुसूचित जाति में शामिल करना बताया जा रहा है। जबकि 'गोश्या' जाति को मध्य प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए संसद क्रमांक-16 नं. गेड की संज्ञा के रूप में 'समपूर्ण मध्य प्रदेश' के लिए अनुसूचित जनजाति अधिनियम है। 'गोश्या' जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंध में अनुसूचित जाति का नाम जो वास्तव में प्रायः ही 'गोश्या' जाति से इस विभाग को 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से अद्यतन करने का अवकाश है।

कृपया उक्त निर्देशों का ध्यान से पालन सुनिश्चित करें।



 { संसद क्रमांक 16 }
 उपर लिखित

सहायक, आदिवासी विकास विभाग

क्रमांक एफ-7-02/2005/25-5

भोपाल, दिनांक 20 मई, 2005

प्रति,
 जिल्लेदार, संसद भवन भोपाल को और आदिवासी विकास विभाग-46/25/05/2005/25-5 के संबंध में सूचना के लिए।


 उपर लिखित
 सहायक, आदिवासी विकास विभाग